भाग– II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या– **FP/UP/MIN/47074/2020**

7.		परियोजना/स्कीम का स्थान–	मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला सोनभद्र द्वारा ग्राम कोटा एवं पड़रछ में स्थित कजरहट (डाला) लाईम स्टोन माईन्स के अन्तर्गत 331.475हे0 आरक्षित वनभूमि पर खनन कार्य हेतु लीज पर हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति का प्रस्ताव।
	I	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश।
	II	जिला	सोनभद्र।
	III	वन प्रभाग	ओबरा वन प्रभाग।
	IV	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	331.475 हे0
	V	वन की कानूनी स्थिति	सुरक्षित वन।
	VI	हरियाली का घनत्व	0.4 (इको क्लास III)
	VII	प्रजाति वार (वैज्ञानिक का नाम) आर परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0–2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0–4 मीटर संलग्न की जाए	संलग्न है।
	VIII	भूसंरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू–क्षरण के लिए संवेदनशील है।
	IX	वनोतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी–	शून्य, प्रस्तावित भूमि आरक्षित वन का भाग है।
	X	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं।
	XI	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।
	XII	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हों, दें।	नहीं।
8.		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता	हॉ, प्रस्तावित वन भूमि परियोजना के लिए न्यूनतम है।

		परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	
9.		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कारवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10.		प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इनकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, भू–खण्डों का आकार।	प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
	II	वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित/वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
	III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
	IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	13,85,57,515.00 रू0
	V	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित कि प्रतिपूरकया जाए)	संलग्न है।
11.		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विषेशतः उपयुक्त कालम 7 (VI, XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	संलग्न है।
12.		विभाग/जिला प्रोफाइल	
	I	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6788 वर्ग किलोमीटर।
	II	जिले का वन क्षेत्र	3782.86 वर्ग किलोमीटर।
	III	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	99 मामले/1490.759हे0
	IV	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण।	1319.944 हे0।
	क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	शून्य।
	ख	वनेत्तर भूमि पर	–
	ट	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (दि0 13.03.2026 तक)	
	क	वन भूमि पर	830.534हे0
	ख	वनेतर भूमि पर	489.41

3P

Proposal No.: FP/UP/MIN/47074/2020

13.		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रश्नगत 331.475 हे0 वनभूमि पूर्व में स्वीकृत तत्संबंधित खनन पट्टो से संबंधित रही है तथा उक्त भूमि पर तत्समय में उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट नि0लि0 व उ0प्र0 खनिज विकास निगम लि0 द्वारा खनन कार्य भी किया गया है, ऐसे में सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों एवं शासनादेशो का अनुपालन करते हुए खनन कार्य हेतु अनुमति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है **तथा प्रस्ताव के सम्बन्ध में अगले पृष्ठ पर उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों एवं तत्सम्बन्धी नियमों से सुसंगत होने की दशा में प्रश्नगत वनभूमि पर खनन कार्य किये जाने के सम्बन्ध में अनुमति दिये जाने की संस्तुति की जाती है।**

तिथि 23-03-2026

स्थान ओबरा

हस्ताक्षर

प्रभागीय वन अधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

सरकारी मोहर

मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला सोनभद्र द्वारा ग्राम कोटा एवं पड़रछ में स्थित कजरहट (डाला) लाईम स्टोन माईन्स के अन्तर्गत 331.475हे0 आरक्षित वनभूमि पर खनन कार्य हेतु लीज पर हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या–FP/UP /MIN/47074/2020) पर संस्तुति के संबंध में आख्या:–

1. **प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण:–**

i. उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक–24.10.1973 के क्रम में वर्ष 1976 में ग्राम–कोटा व पड़रछ (डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स से सम्बन्धित) में कुल 751 हे0 क्षेत्र का **उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन लि0,** के पक्ष में 20 वर्ष हेतु लाईम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। वर्ष 1996 में खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी। तत्पश्चात उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया।

ii. उल्लेखनीय है कि डाला कजरहट माईन्स से सम्बन्धित ग्रामो की धारा 4 की अधिसूचना निम्नलिखित दिनांक को अधिसूचित की गयी थी:–

क0सं0	ग्राम का नाम	धारा 4 की अधिसूचना संख्या	दिनांक
1	कोटा	1. 270/14–2–4(15)–74	दि0 22.02.78
		2. 6288/14–2–4(15)–74	दि0 02.03.77
2	पड़रछ	5380/14–ख–4(27)–70	दि0 10.09.70

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 1061/1982 वनवासी सेवा आश्रम बनाम् उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक–20.11.1986 के क्रम में हुयी बन्दोबस्ती की कार्यवाही में वन बन्दोबस्त अधिकारी/मा0 अपर जिला जज द्वारा वर्ष 1994 में प्रश्नगत क्षेत्र को आरक्षित वन बनाये जाने के पक्ष में निर्णय पारित किया गया।

iii. इसी दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, लि0 डाला की फैक्ट्री के लगातार घाटे में चलने के कारण उसे **Sick Industries** घोषित किया गया तथा मा0 उच्च न्यायालय के देख रेख में उक्त फैक्ट्री को **Wound Up कर लिक्विडेट किये जाने का निर्णय लिया गया।**

iv. उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, लि0 डाला के लिक्विडेशन के दौरान डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स का कुल 751हे0 क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, लि0 डाला की परिसम्पत्ति मानते हुए विज्ञप्ति किया गया। विज्ञप्ति में यह उल्लेख किया गया कि वन भूमि में निहित खनन पट्टे का नवीनीकरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो के अनुरुप भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त किया जायेगा। तत्क्रम में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, लि0 डाला के लिक्विडेशन की कार्यवाही समाप्त की गयी तथा **उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, लि0 डाला की परिसम्पत्तियों को मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 को हस्तान्तरित कर दिया गया।**

v. तत्पश्चात दिनांक–02.12.2007 को डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे के कुल क्षेत्रफल 751हे0 में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 380.635हे0 को छोड़कर गैर वन भूमि 370.365हे0 भूमि को 01.05.1996 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 के पक्ष में कतिपय शर्तो के अधीन नवीनीकृत किया गया।

उक्त कार्यवाही के दौरान यह अपेक्षित था कि डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के वन भूमि पर खनन किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

vi. किन्तु मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के स्थान पर डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के अन्दर 380.435हे0 **वन भूमि को धारा 4 से पृथक किये जाने हेतु वन बन्दोबस्त अधिकारी/मा0 जिला जज के न्यायालय में क्लेम दाखिल किया गया तथा उक्त भूमि को धारा 4 में विज्ञापित वन भूमि से पृथक करा लिया गया** तथा उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक–12.09.2008 को, वर्ष 2008 में ग्राम–कोटा का धारा 20 की अधिसूचना निर्गत कर वन बन्दोबस्त अधिकारी/मा0 जिला जज द्वारा पारित

निर्णयों को स्वीकार कर लिया गया। जिसके फलस्वरुप डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में कुल 380.435हे0 वन भूमि को गैर वन भूमि का दर्जा प्राप्त हुआ।

vii. **जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा अनाधिकृत रुप से वन भूमि कब्जा करने के सम्बन्ध में कतिपय व्यक्ति द्वारा सी0ई0सी0 में शिकायत दर्ज करायी, जिस पर सी0ई0सी0 द्वारा सम्बन्धित पक्षो से रिपोर्ट/आख्या मांगी गयी।** पक्षो द्वारा प्रस्तुत आख्या पर विचार करने के उपरान्त सी0ई0सी0 द्वारा अपनी संस्तुति मा0 उच्चतम् न्यायालय नई दिल्ली को प्रेषित किया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय में रिट संख्या 2469/2009 दाखिल की गयी, जिसे मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली को सुनवाई करने का निर्देश दिया गया।

viii. मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली को स्थानान्तरित याचिका एम0ए0 संख्या 1166/2015 में परिवर्तित हो गयी, जिसमें पारित निर्णय दिनांक–04.05.2016 को मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा मा0 अपर जिला जज/जिला जज द्वारा भूमि को **धारा 4 से पृथक किये जाने सम्बन्धी निर्णयो को निरस्त कर दिया गया तथा उ0प्र0 सरकार को प्रश्नगत क्षेत्रों का आरक्षित वन में सम्मिलित करते हुए, पुनः संशोधित धारा 20 की अधिसूचना जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।**

ix. तत्पश्चात मैं0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र पर वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही को त्वरित करने हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष एम0ए0 संख्या 471/2016 योजित किया गया। जिसमें मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–30. 05.2016 को निर्णय पारित कर प्रश्नगत क्षेत्र से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 06 माह के अन्दर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु उ0प्र0 सरकार को निर्देशित किया गया।

x. इसप्रकार मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में धारा 4 से पृथक कराया गया 380.435हे0 वन भूमि, संशोधित धारा 20 की अधिसूचना निर्गत हो जाने के उपरान्त आरक्षित वन भूमि का दर्जा प्राप्त कर चुका है।

xi. उल्लेखनीय है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक–30. 05.2016 में मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स, लि0 को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिया गया था। किन्तु **वर्ष 2017 में जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों को मैं0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 को विक्रय कर दिया गया।** अतः वर्तमान में मैं0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

xii. वर्तमान प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी(मैं0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट, लि0) द्वारा डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में स्थित समस्त वन भूमि 404.388हे0 में से इकोसेन्सिटिव जोन से 01 किमी0 के अन्दर पड़ने वाले 55.323हे0 वन क्षेत्र एवं कनहर नदी में पड़ने वाले 17.590हे0 क्षेत्र को छोड़कर 331.475हे0 भूमि पर गैर वानिकी (खनन) कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है।

2. **प्रस्ताव से सम्बन्धित 331.475हे0 आरक्षित वन के सापेक्ष गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की स्थिति का विवरणः–**

i. प्रस्ताव से सम्बन्धित कुल 331.475हे0 क्षेत्र के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा निम्नानुसार गैर वनभूमि उपलब्ध करायी जा रही है, :–

क्र0सं0	प्रभाग का नाम	जनपद का नाम	गैर वनभूमि का क्षे0, (हे0 मे0)
1	मीरजापुर	मीरजापुर	203.812
2	कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर	मीरजापुर	60.541
3	उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व/ प्रभागीय वनाधिकारी, कर्वी चित्रकूट	चित्रकूट	72.194
			336.547

ii. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्तता के सम्बन्ध में निम्नवत स्थिति स्पष्ट की गयी है:-

क्र0सं0	प्रभाग का नाम	गैर वनभूमि का क्षे0, (हे0 मे0)	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपुयक्त क्षे0, (हे0, मे)
1	मीरजापुर	203.812	121.192
2	कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर	60.541	0
3	उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व/ प्रभागीय वनाधिकारी, कर्वी चित्रकूट	72.194	72.194
		336.547	193.386

iii. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त क्षेत्र 143.161 हे0 के सम्बन्ध में निम्नानुसार दुगने अवनत वनभूमि चयनित किया गया है:-

क्र0 सं0	वृत्त का नाम	प्रभाग का नाम	चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वनभूमि के रेंज का नाम	चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वनभूमि के ब्लाक एवं कम्पार्टमेन्ट का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपरण हेतु चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वन भमि का शुद्ध क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
1	मीरजापुर	ओबरा	ओबरा	बकिया-1 ब	12
			जुगैल	चन्दौली-3	13
			जुगैल	कनहरा-1	10
			डाला	परासपानी-6	20
			डाला	परासपानी-7	20
			डाला	हथवानी-1	10
			डाला	चोपन-1	10
			डाला	डाला-4	10
			कोन	खुरधन खण्ड	25
			योग-		**130**
2		सोनभद्र	रामगढ़	मझुई कं0नं0.3	20
			मांची	सुअरसोत-2	20
			पटना	चौरा-1	10
			योग-		**50**
3		रेनुकूट	बभनी	चकबदरी वन ब्लाक	91.18
			म्योरपुर	चेरी वन ब्लाक	24.24
			योग-		**115.42**
कुल योग-					**295.42**

Proposal No.: FP/UP/MIN/47074/2020

3. प्रस्ताव से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुः–

i. प्रस्ताव में सम्मिलित कुल 331.475है0 क्षेत्र में से 26.579है0 क्षेत्र पर गैर वानिकी कार्य होना पाया गया। जिसका विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
उक्त सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि 26.579है0 में सभी कार्य उ0प्र0सीमेन्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा वर्ष 1976 में किये गये थे। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक–16.02.2021 मय साक्ष्य सहित संलग्न है, **संलग्नक–1**।

भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के सम्बन्ध में Consolidated Guidelines and Clarifications के चैप्टर CHAPTER 7 MINING PROJECTS के 7.3 में निम्नवत उल्लेख किया गया हैः–

"**7.3** The Supreme Court of India in its order of 6th July 2011 issued guidelines so as to not create *fait accompli* situation in the matter of diversion of forest land under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. Therefore, in the case of new mining leases/projects having forest land in part or in full, approval under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for diversion of entire forest land located within the mining lease/project is to be obtained before execution/renewal of mining lease/project."

उल्लेखनीय है कि प्रयोक्ता एजेन्सी(मैं0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट, लि0) द्वारा डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में स्थित समस्त वन भूमि 404.388है0 में से इकोसेन्सिटिव जोन से 01 किमी0 के अन्दर पड़ने वाले 55.323है0 वन क्षेत्र एवं कनहर नदी में पड़ने वाले 17.590है0 क्षेत्र को छोड़कर 331.475है0 आरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी (खनन) कार्य किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया है।

उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि प्रश्नगत 331.475है0 वन भूमि पूर्व में स्वीकृत तत्संबंधित खनन पट्टो से संबंधित रही है तथा उक्त भूमि पर तत्समय में उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन लि0 व उ0प्र0 खनिज विकास निगम लि0 द्वारा खनन कार्य भी किया गया है, ऐसे में सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों एवं शासनादेशो का अनुपालन करते हुए खनन कार्य हेतु अनुमति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। उपरोक्त उल्लिखित तथ्यो के दृष्टिगत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो एवं तत्सम्बन्धी नियमो से सुसंगत होने की दशा में विषयगत वन भूमि पर खनन कार्य किये जाने की अनुमति दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संलग्नक-01

ADITYA BIRLA

UltraTech

UTCL/MINES/DLCW/2021/01

16-02-2021

सेवा में,

श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा, जनपद–सोनभद्र

विषयः– जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अर्न्तगत 344.688 हे0 आरक्षित वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत आवेदन संख्या–FP/UP/MON/47074/2020.

सन्दर्भः– पत्रांक–2161/ओबरा/33 वन्दो0 दिनांक–15.02.2021

आदरणीय महोदय,

आपके उपरोक्त पत्र के कम में अवगत कराना है कि ग्राम कोटा व बिल्ली मारकुण्डी लीज एरिया में पडनें वाले गैर वानिकी कार्य से सम्बन्धित बिन्दुवार विवरण निम्नवत है :–

क0 सं0	क्षेत्र का विवरण	गाटा सं0	क्षेत्रफल (हे0 में)	निर्माण/खनन कार्य किये जाने का वर्ष	साक्ष्य यदि उपलब्ध है	संलग्नक कमांक
1	खनन कार्य	3303 3196 3205 3201 5844	26.485	1970/76	1– उ0प्र0 सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का खनन पट्टा। 2– भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर द्वारा अनुमोदित खनन योजना में अंकित खनन ब्योरा।	1 2
2	बारूद गोदाम मिक्सिंग शेड एवं कम्प्रेसर हाउस	5857 3211 3211	0.015 0.001 0.024	1976	भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर द्वारा अनुमोदित खनन योजना में अंकित सीमेंट कार्पो0 लि0 द्वारा खनन के दौरान ड्रिलिंग एवं ब्लास्टींग का ब्योरा।	3

For UltraTech Cement Limited

(Authorised Signatory)

UltraTech CEMENT The Engineer's Choice

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonebhadra (UP) - 231207.
Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420
Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093. Tel.: +91 22 66917800

3	रैस्ट शेल्टर	3211	0.008	1976	भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर द्वारा अनुमोदित खनन योजना में अंकित खनन के दौरान मजदूरों के विश्राम के लिए रैस्ट शेल्टर का ब्योरा।	4
4	सोन नदी से खनन कार्य, कारखाना एवं आवासीय परिसर हेतु पानी की पाईप लाईन का निर्माण	3203 3204 3211	0.0464	1976	भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर द्वारा अनुमोदित खनन योजना में अंकित खनन कार्य, कारखाना एवं आवासीय परिसर हेतु पानी की पाईप लाईन का निर्माण का ब्योरा।	5

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त कार्य अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड डाला सीमेंट वर्क्स एण्ड डाला सुपर सीमेंट वर्क्स द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री का अधिग्रहण अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा वर्ष 2017 में किया गया। जबकि उपरोक्त कार्य उ0प्र0 सीमेंट कार्पो0 लि0 द्वारा वर्ष 1976 में किया गया है।

अतः आप से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अपने पत्रांक–2161/ओबरा/33 वन्दो0 दिनांक–15.02.2021 के कम में कार्यवाही कराने की कृपा करें।

धन्यवाद।

वास्ते अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड
डाला सीमेंट वर्क्स एण्ड डाला सुपर सीमेंट वर्क्स।

अनिल बजाज
(सी0ओ0ओ0 एण्ड क्लस्टर हेड)

For UltraTech Cement Limited

(Authorised Signatory)

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

UltraTech CEMENT The Engineer's Choice

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonebhadra (UP) - 231207.
Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420
Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093. Tel.: +91 22 66917800

UTTAR PRADESH

500 Rs.

FIVE HUNDRED RUPEES

MINING LEASE DEED "Dalla"

THIS INDENTURE made this .... day of May .... 1976, corresponding to .... day of .... 1898 Saka era between the Governor of UTTAR PRADESH (hereinafter referred to as the "State Government" which expression shall where the context so admits be deemed to include the successors and assigns) of the one part and the U.P. State Cement Corporation Ltd. (name of company) a company registered under the Companies Act, 1956 (Act under which incorporated) and having its registered office at Churk, Mirzapur, U.P. (Address) hereinafter referred to as the lessee which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the other part.

WHEREAS THE lessee has applied to the State Government in accordance with the Mineral Concession Rules, 1960 (hereinafter referred to as the said rules) for a mining lease for limestone in respect of the lands described in Part I of the Schedule hereunder written and has deposited with the State Government the sum of Rs.1000/- as security and the sum of Rs.500/- for meeting the preliminary expenses for a mining lease.

For UltraTech Cement Limited

(Authorised Signatory)

UTTAR PRADESH

500 Rs.

(157)

2

2.

WITNESSETH that in consideration of the rents and royalties, covenants and agreements by and in these presents and the Schedule hereunder written reserved and contained and on the part of the lessee to be paid observed and performed, the State Government (with the approval of Central Government) hereby grants and demises unto the lessee.

ALL those the mines beds/veins seams of limestone (hereinafter and in the schedule referred to as the said Mineral) or situated lying and being in or under the lands which are referred to in Part I of the said Schedule, together with the liberties, powers and privileges to be exercised or enjoyed in connection herewith which are mentioned in Part II of the said Schedule subject to the restrictions and conditions as to the exercise and enjoyment of such liberties, powers and privileges which are mentioned in Part III of the said Schedule EXCEPT and reserving ... unto the State Government the liberties, powers and privileges mentioned in Part IV of the ... premises hereby granted and demised ...

day of ...

thence next ensuing ... the

State Government the ... in

Part V of the said ...

For UltraTech Cement Limited

(Authorised Signatory)

150

3

specified subject to the provisions contained in Part VI of the said Schedule and the lessee hereby covenants with the State Government as in Part VII of the said Schedule [illegible] expressed and the State Government hereby covenants with the lessee as in Part VIII of the said Schedule as expressed [illegible] it is hereby mutually agreed between the parties hereto as in Part IX of the said Schedule is expressed.

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed in manner hereunder appearing the day and year first above written.

The Schedule above referred to

PART 1

THE AREA OF THIS LEASE

All the tract of lands situated at villages - Hardi, Kota, Kajrahat in (Pargana) Agori in the [illegible] District of Mirzapur, Sub-District Robertsganj and Thana Chopan bearing Cadastral Survey Nos. (Forest Area) containing an area of 7.51 sq. Kms [illegible] delineated on the plan hereto annexed and thereon coloured [illegible] as follows

X [signature]

For UltraTech Cement Limited

(Authorised Signatory)

UTTAR PRADESH (14) 4

Rs500

FIVE HUNDRED RUPEES

On the North by River Sono and Dalla-Hardi Road.
On the South by Hills and Jurwani Village.
On the East by Hardi Village ;
and
On the West by Kajrahat nala
hereinafter referred to as "the said lands"

PART II

Liberties, Powers and Privileges to be exercised and enjoyed by the lessee subject to the restrictions and conditions in Part XII.

To enter upon land and search for, win, work etc.

1. Liberty and power at all times during the term hereby demised to enter upon the said lands and to search for, mine, bore, dig, drill or win, work, dress, process, convert, carry away and dispose of the said mineral.

To sink, drive and make pits, shafts and inclines etc.

2. Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part to sink, drive, make, maintain, and use in the said lands any pits, shafts, inclines, drifts, levels, water ways, air ways and other works (and to use, maintain deepen or extend any existing works of the like nature in the said lands).

To bring to use machinery equipment etc.

3. Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part to erect, construct, maintain and use on or upon the said lands any engines, machinery, plant, dressing [illegible] brick

For UltraTech Cement Limi
(Authorised Signato

UTTAR PRADESH

INDIA NON JUDICIAL

Rs500

FIVE HUNDRED RUPEES

5.

kilns, workshops, store-houses, bungalows, godowns, sheds and other buildings and other works and conveniences of the like nature on or under the said lands.

To make roads and ways etc. and use existing roads and ways.

4. Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part to make any tramways, railways, roads, aircraft landing grounds and other ways in or over the said lands and to use maintain and go and repass with or without horses cattle wagons aircrafts locomotives or other vehicles over the same (or any existing tramways, railways, roads and other ways in or over the said lands) on such conditions as may be agreed to.

To get building and road materials etc.

5. Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part to quarry and get stone gravel and other building and road materials and clay and to use and employ the same and to manufacture such clay into bricks or tiles and to use such bricks or tiles but not to sell any such material, bricks or tiles.

To use water from streams etc.

6. Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part but subject to the rights of any existing or future lessees and with the written permission of Collector, Mirzapur, U.P. (hereinafter called Collector Mirzapur to appropriate and use water from any streams, water courses, springs or other sources in or upon the said land and to divert step up or dam any such stream or

For UltraTech Cement Limited

(Authorised Signatory)

(147)

61

UTTAR PRADESH

500 R

6.

water course and collect or impound any such water and to make construct and maintain any water course culverts drains or reservoirs but not as to deprive any cultivated lands, villages buildings or watering places for livestock of a reasonable supply of water as before accustomed nor in any way to foul or pollute any streams or springs. Provided that the lessee shall not interfere with the navigation in any navigable stream nor shall divert such stream without the previous written permission of the State Government.

[illegible] land for stacking heaping depositing etc. purposes.

7. Liberty and power to enter upon and use a sufficient part of the surface of the such lands for the purpose of stacking heaping storing or depositing therein any produce of the mines or works carried on and any tools equipment earth and materials and substances dug or raised under the liberties and powers mentioned in this part.

Beneficiation and conveying away of production.

8. Liberty and power to enter upon and use a sufficient part of the said lands to beneficiate any ore produced from the said lands and to carry away such beneficiated ore.

[illegible] clear [illegible] and to fell and utilise trees [illegible]

9. Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part and subject to the existing rights of others and save as provided in clause 3 of Part III of this Schedule to clear undergrowth and brushwood and to fell and utilise any trees or timber standing or found on the said lands provided that the Collector of the State

For UltraTech Cement Limited

(Authorised Signatory)

SEVENTY FIVE RUPEES

75 Rs

(140)

Government may ask the lessee to pay for any trees or timber felled and utilised by him at the rates specified by the Collector or the State Government.

PART III

RESTRICTIONS AND CONDITIONS AS TO THE EXERCISE OF THE LIBERTIES POWERS AND PRIVILEGES IN PART II.

Building etc. certain places.

1. No building or thing shall be erected set up or placed and no surface operations shall be carried on in or upon any public pleasure ground burning or burial ground or place held sacred by any class of persons or any house or village site public road or other place which the State Government may determine as public ground nor in such a manner as to injure or prejudicially effect any buildings works property or rights of other persons and no land shall be used for surface operations which is already occupied by persons other than the State Government for work or purposes not included in this lease. The lessee shall not also interfere with any right of way, well or tank.

...tion for ...ce opera... ...n a land already in...

2. Before using for surface operations any land which has not already been used for such operations, the lessee shall give to Collector, of the District two calendar months previous notice in writing specifying the name or other description of the situation and the extent of the land proposed to be so used and the purpose for which the same is required and the said land shall not be so used if objection is issued by the Collector within two months after the receipt by him of such notice unless the objections so stated shall on reference to the State Government be annulled or waived.

For UltraTech Cement Limited

(Authorised Signatory)

SEVENTY FIVE RUPEES 75

6.

cut trees in reserved lands. 3. The lessee shall not without the express sanction of the Collector cut down or injure any timber or trees on the said lands but may without such sanction clear away any brushwood or undergrowth which interferes with any operations authorised by these presents. The Collector or the State Government may require the lessee to pay for any trees or timber felled and utilised by him at the rates specified by the Collector of the District.

enter upon reserved forests. 4. Notwithstanding anything in this Schedule contained the lessee shall not enter upon any reserved forest included in the said lands without previous sanction in writing of the Divisional Forest Officer nor fell cut and use any timber or trees without obtaining the sanction in writing of that officer nor otherwise than in accordance with such conditions as the State Government may prescribe.

mining operations within 50 metres of public works etc. 5. The lessee shall not work or carry on or allow to be worked or carried on any mining operations at or to any point within a distance of 50 Metres from any Railway line except with the previous written permission of the Railway Administration concerned or from any reservoir, canal or other public works such as public roads and buildings or inhabited site except with the previous written permission of the Collector or any other Officer authorised by the State Government in this behalf and otherwise than in accordance with such instructions, restrictions and condition either general or special which may be attached to such permission. The said distance of 50 metres shall be measured in the case of Railway Reservoir or canal horizontally from the outer toe of the bank or the outer edge of the cutting as the case may be and in case of a building horizontally from the plinth thereof. In the case of village roads no working shall be carried on within a distance of 10 metres of the outer edge of the cutting except with the previous permission of the Collector or any other officer duly authorised by the State Government in this behalf and otherwise than in accordance with such directions

For UltraTech Cement L

(Authorised Sign

Annexure 2

MINING PLAN

DALLA LIME STONE MINE

AREA : 751 HECT.
TEHSIL : ROBERTSGANJ
DISTT. : SONEBHADRA (U. P.)

SUBMITTED UNDER RULE 22 M.C.R. 1960
FOR RENEWAL OF MINING LEASE

This mining pl[illegible] subject to the
Conditions [illegible] 314(3)/96
mining pl[illegible]
/MCCM (C)/MP- 8 Dt.24/6/97

LESSEE :
THE U. P. STATE CEMENT CORP. LTD.
UNIT : DALLA CEMENT FACTORY.
DALLA : 231207 SONEBHADRA (U. P.)

अनुमोदित
APPROVED

PREPARED BY :
BALRAM SINGH
M. Sc., A. I. S. M. (Min. & Geol.)
First Class Mines Manager
Regd. No. RQP/JBP/003/87/A.
BRIJ BILAS PALACE
MAIHAR PIN.-485 771
Distt. SATNA (M. P.)
Phone : 32473

For UltraTech Cement Limited
(Authorised Signatory)

SEPTEMBER-96

खान नियंत्रक (मध्य)
CONTROLLER OF MINES (Central)
भारतीय खान ब्यूरो
INDIAN BUREAU OF MINES

CHAPTER XIII

13.0 ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN :-

13.1 BASE LINE INFORMATION :-

(i) Existing land use pattern :-

The lease area falls under Robertsganj Block of Sonebhadra Distt. The existing land use pattern of buffer zone has been described in detail under para 13.2.7.4. The buffer zone is covered by vast area of forest land(62380 Hect. out of total block area of 156619 Hect.) This is draught-prone and as such agriculture was not very extensive, which can be seen from the fact that agricultural population is very low. During the pre-mining period a large area was left as waste land and was uncared for.

Govt. cement factory Dalla started production from 1970 and an area of 751 Hect. has been transfered to The U.P. State cement Corpn. Ltd. for mining purpose . This has been transfered by the name Kajrahat area(name of the village) . This is in one compact block extending west to east from Dalla cement plant.

For UltraTech Cement Limited
(Authorised Signatory)

अनुमोदित
APPROVED

Annexure-3

5.3 STORAGE OF EXPLOSIVE :-

Explosive are stored in a permanent explosive magazine located at a safe and secured place and this is duly licenced by Controller of explosive, Agra. The storage of explosives is done in accordance with the Indian Explosive Act 1884 and the rules made thereunder. Location of the magazines are shown in the surface plan Plate-2A. The capacity of explosive is given below :-

Sl. No.	Particulars	Class	Divn.	Quantity.
1.	Nitrate mixture of all slurry explosive.	2	-	20000 kg.
2.	Nitro compounds	2	1	15000 Kg.
3.	Safety fuse	6	2	26000 mts.
4.	Detonating fuse.	6	2	10000 mts.
5.	Detonater	6	3	44000 Nos.

All precautions are taken regarding a storage and transport of explosive prescribed under explosive Act and MMR. 1961. The management has also provided an explosive van for transport of explosive.

अनुमोदित
APPROVAL

For UltraTech Cement Limited

(Authorised Signatory)

Annexure-

CHAPTER XI

11.0 SITE SERVICES :-

Site services has been provided in lease area as well as out side the leasearea acquired for different purposes. A well laid and well equipped workshop with good repair facilities are available for carrying out minor as well as major repair work, rebuilding work and overhauling work and overhauling of mining equipment in use. Both stationery and mobile service equipment for maintenance job is provided.

A well laid out mine office building with time-office, and separate store has been provided. Rest room, first aid station and drinking water station has been provided to each of the quarries. The mines township is located about 2 km. away from the lease area. Water supply through intak well in sone river and a well laid filteration plant at Plant site has been provided.

All the workers at present employed in the mine have been provided accomodation in the mines township. A few people come from nearby villages. Location of site services are shown in Surface Plan- 2 and Environmental & land use plan, Plate-5.

For UltraTech Cement Limited

(Authorised Signatory)

अनुमोदित
APPROVED

Power Supply :-

H.T. electric power is supplied to the Cement plant through grid of UPEB from the cement plant sub-station electric power is supplied to existing crushing plant sub-station having 4 poles structure through 11 KV O.H. incoming line from existing clinkerisation plant SW. GR.

Compressor House Sub-station :-

This sub-station has a 750 KVA, 11/0.440 KV transformer with 11 KV. and 415 Volts Switchgear of suitable rating for its control.

अनुमोदित
APPROVED

Water Supply :-

The requirement of water for Dalla limestone quarry including township is met from an intake well in Sone river .The cement plant Dalla has well planned filteration and chlorination unit in plant area . They supply sufficient quantity of drinking water to meet the requirement of colony and mine and as such no further additional requirement of water is anticipated.

For UltraTech Cement Limited

(Authorised Signatory)